



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र0क0

I/A.प्रानी/विदिशा/भू.प्र.भू/2018/01/090

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह-18
द्वारा आज दि. 6/2/18 को
प्रस्तुत। 18/3/18 दिनांक

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

- 1- चन्द्रेश उर्फ बालाप्रसाद पुत्र कुंवरलाल
जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम-माला, तहसील
कुरवाई जिला विदिशा (म.प्र.)
- 2- पप्पू पुत्र तोरन आदिवासी
निवासी - ग्राम सिरावदा, तहसील कुरवाई,
जिला विदिशा (म.प्र.)
- 3- मुन्नालाल पुत्र रधुवीर प्रसाद जाति ब्राह्मण
निवासी - ग्राम माला, तहसील कुरवाई, जिला
विदिशा (म.प्र.) ———आवेदकगण

बनाम

जमना प्रसाद पुत्र सुखलाल जाति ब्राह्मण
निवासी - ग्राम माला, तहसील कुरवाई, जिला
विदिशा (म.प्र.) ———अनावेदक

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं सेन्यु बोर्ड
ग्वालियर-3

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 (1) म.प्र.भू राजस्व संहिता
-1959 (नये संशोधन अधिनियम-2011) विरुद्ध आदेश
तहसीलदार महोदय, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा के
प्रकरण क्रमांक 01/अ-70/2017-18 में पारित आदेश
दिनांक 26-12-2017 से परिवेदित होकर।

माननीय,

आवेदकगण का निगरानी आवेदन-पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/विदिशा/भू0रा0/2018/1090

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 19-4-18 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण को सक्षम न्यायालय में पेश किए जाने हेतु वापिस किये जाने का अनुरोध किया । उनका अनुरोध स्वीकार किया जाता है । यह निगरानी आवेदन आवेदक को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाये । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p>(एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य</p> | <p>वापिस श्री</p> |